दैनिक **न्याय साक्षी**

महत्वपूर्ण एवं खास

चायपत्ती के ट्रेडमार्क का उपयोग कर ठगी, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। चुस्की चाय का ट्रेडमार्क का उपयोग कर धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी यशवंत जैन 54 वर्ष जैन चुस्की चाय नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया है। जिसका आरोपी हरीश गोयल ने उल्लघंन कर चुस्की शब्द को अपने चायपत्ती में उपयोग कर प्रार्थी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं के साथ छल कर रहा है। जब इसकी जानकारी प्रार्थी को लगी, तो उसने इसकी शिकायत टिकरापारा थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ट्रेड मार्क एक्ट 29, 103,104 व 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

माल सप्लाई करने के नाम पर 87 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। माल सप्लाई करने का प्रलोभन देकर 87 लाख 88 हजार 900 रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रमेश झंवर 42 वर्ष स्वर्णभूमि आमासिवनी का रहने वाला है। प्रार्थी दाल मील एवं अनाज ट्रेडिंग का काम करता है। बताया जाता है कि आरोपी प्रेमरतन शर्मा, विक्रम अदितो व बाहसाह मलिक ने प्रार्थी से कहा कि वह मेघालय एवं नागालैंड राज्य शासन को शक्कर, दाल, चावल व गेंहू सप्लाई करना है। जिसका आर्डर निकलवा कर प्रार्थी को दिखाया। जिसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी से कमिशन रकम 87 लाख 88 हजार 900 रुपए लेकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120 बी, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

घरेलू विवाद को लेकर पत्नी को जलाया

रायपुर (आरएनएस)। घरेलू विवाद को लेकर युवक ने चाय व सिगरेट से अपनी पत्नी को जला दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया कैधरीन बार्टन 40 वर्ष शिवानंद नगर खमतराई की रहने वाली है। बताया जाता है कि प्रार्थिया के पति आरोपी डेनिस बार्टन ने घरेलू विवाद पर प्रार्थिया से गाली-गलौज कर गरम चाय व सिगरेट से उसके हाथ को जला दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 294, 323 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

राजधानी रायपुर के दो सराफा दुकान में आईटी टीम की दबिश

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव और दीपावली के ठीक पहले आयकर विभाग ने राजधानी रायपुर के सदरबाजार स्थित अरिहंत और राजधानी ज्वेलर्स दुकान पर दबिश दी है। सूत्रों ने बताया कि आज अचानक इन दोनों दुकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे और दुकानों में दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया। करीब 20 अधिकारियों की टीम इस जांच कार्रवाई में शामिल थी। आयकर विभाग की टीम ने दोनों दुकानों में टैक्स की रसीद और लेनेदेन के सारे बिल और दस्तावेजों की जांच की है। बताया जाता है कि अरिहंत ज्वेलर्स के संचालक उत्तम गोलछा छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स के कोषाध्यक्ष हैं। गोलछा के शैलेंद्र नगर स्थित निवास में भी आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। इस जांच कार्रवाई को लकर आयकर विभाग की टीम ने कोई जानकारी नहीं दी है।

अलग-अलग दो कार्यवाई में 2.5 किलो गांजे के साथ दो युवक गिरफ्तार, एक बाइक जब्त

- लैलूंगा पुलिस की कार्यवाई में मोटरसाइकिल पर 1 किलो गांजे की तस्करी कर रहा युवक गिरफ्तार
- कापू पुलिस की कार्यवाई में डेढ़ किलो गांजे की तस्करी कर रहा आरोपी गिरफ्तार

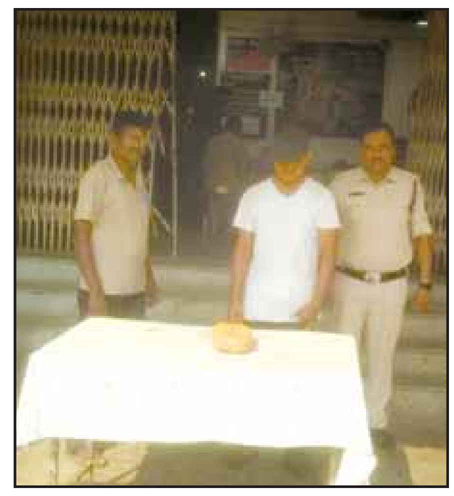

रायगढ़। आसन्न विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर लैलूंगा पुलिस मुखबीरों को सक्रिय कर लगातार गांजे के अवैध परिवहन पर कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 18.10.2023 के सुबह लैलूंगा पुलिस ने ग्राम हाडीपानी में गांजा रेड कार्यवाही कर 11 किलो गांजे के साथ एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था। गांजा तस्करी की कार्यवाही के क्रम में कल दोपहर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में एक और कार्यवाही ग्राम रूडूकेला पाकरगांव मार्ग नीलगिरी बगीचा के पास लैलूंगा पुलिस द्वारा किया गया। लैलूंगा पुलिस ने मुखबिर सूचना पर मोटरसाइकिल रेंजर क्रमांक सीजी 15 CZ 3950 में उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे आरोपी कृष्ण यादव पिता हलधर यादव उम्र 25 साल निवासी लाखा थाना कोतवाली को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक किलो गांजा कीमत रु. 12000 तथा गांजा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रेंजर कीमत करीब रु. 40000 जुमला कीमती रु. 52,000 की जप्ती कर आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गांजा रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम, आरक्षक हिलारियुस तिर्की, सुमित एक्का और महिला आरक्षक संगीता लकड़ा की अहम भूमिका रही है।

अवैध गांजा परिवहन पर कार्यवाही के क्रम में एक अन्य कार्यवाही थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत कापू पुलिस द्वारा ग्राम गोलाबुडा में किया गया। शाम थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम अपने स्टाफ के साथ ग्राम गोलाबुडा बैरियर पर लगे स्थैतिक निगरानी दल (SST) स्टाफ चेक करने रवाना हुए थे, रास्ते में उन्हें मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम ठाकुरपौड़ी की ओर से गांजा लेकर पैदल गोलाबुडा की ओर आ रहा है। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल अपने स्टाफ के साथ ग्राम गोलाबुडा में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी अपना नाम जेठू राम यादव पिता मधुसूदन यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम चाल्हा थाना कापू का बताया जिसके पास से कापू पुलिस ने डेढ़ किलो गांजा कीमत रु. 12,000 का जप्त किया गया है। आरोपी पर थाना कापू में धारा 20 (B) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गांजा रेड की कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी कापू नारायण सिंह मरकाम, प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा, आरक्षक फिलमोन लकड़ा की अहम भूमिका रही है।

छत्तीसगढ़ में तीन दिन बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा पारा और बढ़ेगी हल्की ठंड

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के लोगों को दोपहर की तेज धूप व गर्मी से इस सप्ताह के आखिर में थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर सहित प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।

विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिन तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद यानि 20 अक्टूबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी और हल्की ठंड बढने लगेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी ठंड पडने के आसार है।

इन दिनों प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और दोपहर को तेज धूप के चलते थोड़ी गर्मी भी है, हालांकि रात के समय आउटर क्षेत्रों में हल्की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अभी प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा, किसी प्रकार से बदलाव के आसार नहीं है।

सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मालूम हो कि प्रदेश में इस वर्ष एक जून से लेकर 30 सितंबर तक 1061 मिमी बारिश हुई है।

खाना नहीं बनाने पर गुस्साए पति ने पत्नी से किया मारपीट, महिला की मौत

- लैलूंगा पुलिस ने पत्नीहंता को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर, लैलूंगा के ग्राम ग्राम रूपडेगा की घटना

रायगढ़। समय पर खाना नहीं बनाने जैसी मामूली बात पर लैलूंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपडेगा में रहने वाले पुलु राम कुम्हार (65 साल) ने उसकी पत्नी सुकरी बाई (60 साल) को हाथ-मुक्के से बेतहाशा मारपीट कर हत्या कर दिया था। फरार आरोपित पुलु कुम्हार को कल रात लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या के अपराध में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक 17 अक्टूबर को ग्राम टेटकाआमा निवासी नंदलाल कुम्हार द्वारा थाना लैलूंगा में उसकी बहन सुकरी बाई की लाश उसके घर अंदर खाट पर पड़े होने की सूचना दिया। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों को महिला के संदेहास्पद मृत्यु की सूचना दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर अपनी जांच कार्यवाही आगे बढ़ाये। महिला के शव पर देखे जा रहे चोट के निशान प्रथम दृष्टिया ही मामला हत्यात्मक होने का संकेत दे रहे थे। पड़ोस के लोगों ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात पुलु कुम्हार उसकी पत्नी सुकरी बाई को खाना नहीं बनाने की बात को लेकर झगड़ा विवाद कर हाथ मुक्का से मारपीट किया था। मौके से पुलुराम फरार था। लैलूंगा पुलिस द्वारा मर्ग पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया तथा रिपोर्टकर्ता के रिपोर्ट पर पुलूराम के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया गया। पुलूराम घटना के बाद से फरार था जिसे कल रात्रि रूपडेगा के दर्रीपारा के पास थाना प्रभारी लैलूंगा और उनके स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्यप की जप्त किया गया है। आरोपी पुलूराम कुम्हार पिता स्व. जोधन राम कुम्हार उम्र 65 साल निवासी रूपडेगा दर्रीपाड़ा ने घटना का वृतांत बताकर अपराध की स्वीकारोक्ति किया है जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, आरक्षक तरूण महिलाने, हेलारियुस लकड़ा, राजू तिग्गा की अहम भूमिका रही है।

जब्त नगद राशि व सामग्री इत्यादि को मुक्त करने के संबंध में अपील प्रस्तुति व निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित

- समिति के समक्ष दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते है आवेदन
- कलेक्टर गोयल ने जारी किया आदेश

रायगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के फलस्वरूप जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन व्यय निगरानी तथा आदर्श आचरण संहिता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु विभिन्न एजेंसियों के अतिरिक्त उडऩदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल गठित किए गए है।

भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाईड लाईन अनुसार आदर्श आचरण संहिता लागू रहने के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा उडऩदस्ता दलों, स्थैतिक निगरानी दलों या पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त नगद राशि/सामग्री इत्यादि को नियमानुसार मुक्त करने के संबंध में अपील प्रस्तुति/निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ (संयोजक) राजीव कुमार पाण्डेय एवं वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, रायगढ़ ज्योति सिंह को शामिल किया गया है।

उडऩदस्ता दलों, स्थैतिक निगरानी दलों या पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त नगद राशि/सामग्री इत्यादि को नियमानुसार मुक्त करने के संबंध में व्यथित व्यक्ति कक्ष क्रमांक-21 कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ स्थित समिति के कार्यालय में सुसंगत दस्तावेजों सहित विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु रैली, हेलीपेड, वाहन एवं लाउड स्पीकर के लिए अनुमति जरूरी

- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर से ले सकेंगे अनुमति
- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक की अवधि हेतु दी जाएगी अनुमति

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान जिले में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के द्वारा समय-समय पर प्रचार-प्रसार इत्यादि कार्य हेतु रैली, हेलीपेड, वाहन एवं लाउड स्पीकर की अनुमति हेतु संबंधित अधिकारी को अधिकृत किया है।

हेलीकाप्टर उतारने हेतु हेलीपेड की अनुमति, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी के लिए वाहन की अनुमति एवं अंत:जिला वाहनों की ऑनलाईन /ऑफलाईन अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ संतन देवी जांगड़े को अधिकृत किया गया है। इसी तरह लाउड स्पीकर के साथ बैठक की अनुमति, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, लाउड स्पीकर के बिना बैठक की अनुमति, रोस्ट्रम/बेरिकेट के निर्माण के लिए अनुमति, रैली की अनुमति, लाउड स्पीकर के साथ स्ट्रीट कार्नन मीटिंग की अनुमति, विधानसभा क्षेत्र के भीतर वाहन की अनुमति एवं लाउड स्पीकर की ऑनलाईन/ऑफलाईन अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ को अधिकृत किया गया है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक की अवधि हेतु उक्त अनुमति प्रदान की जाएगी।

आधी रात घर में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, सो रहे लोगों पर किया हमला

कोरबा (आरएनएस)। जिले के एक गांव में मंगलवार देर रात अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ आ धमका. फिर गांव के एक घर में घुस गया और वहां सो रहे लोगों पर हमला कर दिया. मगरमच्छ के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आधी रात हुए इस घटना से गांव में हडक़ंप मच गया. मामला कटघोरा वन मंडल पाली वन परिक्षेत्र के शिवपुर गांव का है।

बताया जा रहा है कि, खुटाघाट जलाशय से निकलकर मगरमच्छ कल रात शिवपुर गांव पहुंचा. इसके बाद मगरमच्छ ने 43 वर्षीय हरिराम टोप्पो के सो रहे नाती पर हमला कर दिया. नाती पर हमला होते देख हरिराम टोप्पो मगरमच्छ से भीड़ गया. इस दौरान मगरमच्छ ने हरिराम का दायां हाथ काट लिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है.

वहीं घर पर सो रहे बाकी सभी सदस्यों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

चक्रधरनगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाई में बाइक से शराब तस्करी करते युवक पकड़ाया

- आरोपी से पल्सर बाइक और अंग्रेजी और देशी शराब जब्त

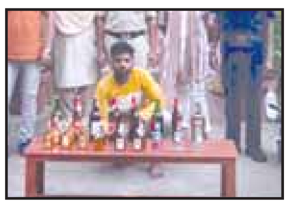

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर प्रभावी कार्यवाही करने के दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में दिनांक 19.10.2023 को चक्रधरनगर क्षेत्र में साइबर सेल एवं चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भारी मात्रा में शराब तस्करी कर रहे युवक को पहाड़ मंदिर के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उनके सक्रिय किये मुखबिर से सूचना मिला कि एनएच 49 ढाबा का संचालक सौरव सिंह निवासी ग्राम जोरापाली अवैध बिक्री के लिए शराब लेने पल्सर बाइक से चक्रधरनगर की ओर निकाला है। सूचना पर कार्रवाई के लिये थाना चक्रधरनगर एवं साइबर सेल की टीम तैयार कर टीम को पहाड़ मंदिर मार्ग पर नाकेबंदी के लिये लगाया गया। पुलिस टीम ने पहाड़ मंदिर मार्ग आश्रम मोड़ पर घेराबंदी कर पल्सर मोटरसाइकिल में संदिग्ध युवक को पकड़ा पूछताछ में उसने अपना नाम सौरव सिंह पिता प्रदीप सिंह उम्र 26 साल निवासी ग्राम जोरापाली NH 49 ढाबा थाना कोतरारोड रायगढ़ बताया जिसके पास थैला से अंग्रेजी शराब की 1 बॉटल, 7 नग बीयर बॉटल, 20 पाव देशी/अंग्रेजी शराब जप्त किया गया है। आरोपी को आचार संहिता की जानकारी देकर शराब परिवहन के संबंध में नोटिस देकर थाना चक्रधरनगर लाया गया। आरोपी के कृत्य पर अवैध शराब करीब रु. 5000 एवं पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 09 जे.के. 8835 की जप्ती कर आरोपी पर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई के साथ शराब परिवहन में प्रयुक्त पल्सर बाइक को राजसात की कार्रवाई के लिये प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी रायगढ़ को प्रस्तुत किया जावेगा। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर, प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक सुखनंदन पटेल, थाना चक्रधर नगर की महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक राजेश सिदार तथा साइबर सेल रायगढ़ के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक सुरेश सिदार, विक्रम सिंह, महेश पंडा, विकास प्रधान, पुष्पेंद्र जाटवर, नवीन शुक्ला और रविंद्र गुप्ता की अहम भूमिका रही है।

साइबर सेल और पुसौर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 290 पाउच मयूर छाप शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, बिक्री रकम भी जब्त

रायगढ़। आचार संहिता लगते ही जिले में पुलिस एक्शन मोड़ में आ गई और ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुट गई है। आचार संहिता का जिले में प्रभावी रूप से पालन कराए जाने के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19.10.2023 के शाम साइबर सेल और पुसौर पुलिस द्वारा ग्राम रेंगालपाली में श्रवण चौहान नाम के व्यक्ति घर पर रेड कार्रवाई कर भारी मात्रा में ओड़िसा से स्पलाई मयूर छाप वाली महुआ पाऊच शराब बरामद किया गया है।

ग्राम रेंगालीपाली के एक घर में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री की सूचना पर कार्यवाही हेतु एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर तत्काल साइबर सेल और पुसौर पुलिस की संयुक्त बनाकर मुखबिर के बताए स्थान पर टीम रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा गवाहों के साथ ग्राम रेंगालपाली में रहने वाले श्रवण चौहान के घर की घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। संदेही श्रवण से अवैध शराब बिक्री के संबंध में हिकम्मतअमली से पूछताछ किय जाने पर श्रवण कुमार ने अपने मकान के बाड़ी में शराब छिपा कर रखना बताया। पुलिस ने आरोपी के बाडी में दिवाल किनारे भूसे में छिपा कर दो प्लास्टिक की बोरियों में रखा हुआ 290 नग उड़ीसा सप्लाई मयूर प्रिंट वाली प्लास्टिक पाऊच जप्त किया गया जिसके प्रत्येक पाउच में 180 ml महुआ शराब सील पैक कर बंधी हुई है। आरोपी श्रवण चौहान पिता मित्रभानू चौहान उम्र 34 साल निवासी ग्राम रेंगालपाली थाना पुसौर के कब्जे से अवैध शराब बिक्री रकम 280 रुपए की भी जप्ती की गई है। आरोपी के कृत्य पर आरोपी को हिरासत में लेकर मय शराब थाना पुसौर लाया गया, आरोपी पर थाना पुसौर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा, सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक सीताराम ध्रुव, साइबर सेल प्रभारी सुखनंदन पटेल, थाना पुसौर के उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी, उमाशंकर विश्वाल, आरक्षक प्रकाश गिरी, अखिलेश कुशवाहा तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, रेनू सिंह मांडवी, आरक्षक प्रशांत पंडा, नरेश रजक, सुरेश सिदार प्रताप बेहरा, विक्रम सिंह, नवीन शुक्ला, धनंजय कश्यप और रविंद्र गुप्ता की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480